

पचां डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 414 / 2025

1. हेतराम } पुत्रगण रामलाल अकवाम बावरी निवासीयान तलवाडाझील तहसील टिब्बी  
2. जेठाराम } जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. रुपराम } पुत्रगण श्रवणराम जाति बावरी निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी  
2. रामकुमार } जिला हनुमानगढ।  
3. मुखराम }  
4. बिरजाराम }  
5. शान्ति देवी पुत्री श्रवणराम पत्नी आत्माराम जाति बावरी निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ ।  
6. पारोदेवी पुत्री श्रवणराम पत्नी मनीराम जाति बावरी निवासी 1 डी बडी तहसील व जिला  
श्रीगंगानगर  
7. भागली पत्नी बनवारीलाल }  
8. सुरेन्द्र राम } अकवाम बावरी निवासी तलवाडाझील तहसील  
9. साहवराम. } पि0 बनवारीलाल } टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
10. कृष्णलाल }  
11. सावित्री पुत्री बनवारीलाल पत्नी लक्ष्मणराम जाति बावरी निवासी बांढा अनुपगढ जिला  
श्रीगंगानगर ।  
12. विमला पुत्री बनवारीलाल पत्नी इमीलाल जाति बावरी निवासी 10 के. पी. डी. तहसील  
घडसाना जिला श्रीगंगानगर।  
13. किस्तूरी देवी पत्नी भादरराम }  
14. महेन्द्र कुमार } पुत्रगण भादरराम } अकवाम बावरी निवासी तलवाडाझील तहसील  
15. मदनसिह } टिब्बी जिला हनुमानगढ ।  
16. मंजूदेवी पुत्री भादरराम पत्नी गोपालराम जाति बावरी निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ।  
17. सुलोचना पुत्री भादरराम पत्नी धनराज जाति बावरी निवासी 8 के.पी.डी. तहसील पीलीबंगा  
जिला हनुमानगढ ।  
18. राजोदेवी पत्नी रामलाल जाति बावरी निवासी तलवाडाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।  
19. बिरमा देवी पुत्री रामलाल पत्नी बुधराम जाति बावरी निवासी 1 एच.बडा तहसील जिला  
हनुमानगढ।



20. भानीराम पुत्र गुड्डी देवी पुत्री श्रवणराम जाति बावरी निवासी 7 के डबल्यू डी. तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. रूकमा पुत्री गुड्डी देवी पत्नी देवीलाल जाति बावरी निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
22. बिदामा पुत्री गुड्डी देवी पत्नी सोहनलाल जाति बावरी निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
23. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 17/10/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी सं० 1 हेतराम प्राप्त आराजी-चकनं० 1 जीजीआर के खाता सं० 211/194 के प०न० 225/298 मु० 56 किलानं० 6/1/.161 दिक्षीणी दिशा . 6/2/.029 है० रास्ता, 7/.190,

वादी सं० 2 जेठाराम को प्राप्त आराजी चक न० 1 जीजीआर खाता सं० 211/194 प०न० 225/298 मु० 56 किला न० 6/1/.054 उत्तरी दिशा, 6/2/.009 है० रास्ता 7/.063 उत्तरी दिशा प०न० 226/298 मु० 55 किला न० 10/.253

ख. प्रतिवादीसं० 4 बिरजाराम को प्राप्त आराजी-चक नं० 5 टी.एल.डबल्यू के प०न० 226/283 मु० 13 किलानं० 4/.253, 5/1/.228, 5/2/.025 है० रास्ता, चकनं० 1 जीजीआर के प०न० 228/297 मु० 47 किलानं० 21/.253 है० आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक नं० 1 जीजीआर के खाता सं० 211/194 व चकनं० 5 टी.एल.डबल्यू खाता सं० 237/222 से श्रवणराम पुत्र मघाराम का नाम कलमजन किया जावे व इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपर (सत्यनारायण P.S.)  
 प्रमुख उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
 एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।